कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 29.08.2026

□ थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा गोवध के मुकदमें में वाँछित 50,000/- रुपये के इनामिया अभियुक्त/वाहन स्वामी को किया गया गिरफ्तार।

पूर्व की घटना:

थानध्यक्ष सैयदराजा अशोक कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा थाना सैयदराजा पर पंजीकृत मु.अ.सं. 55/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही के दौरान वाहन संख्या DL 1 VA 9062 को बरामद किया गया था। उक्त घटना में सम्मिलित वाहन स्वामी/अभियुक्त रमेश मौर्या लगातार वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 50,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी विवरण:

उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष सैयदराजा अशोक मिश्रा के कुशल नेतृत्व में थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा दिनांक 28.08.2026 को समय 19:30 बजे वांछित/इनामिया अभियुक्त रमेश मौर्या को उसकी दुकान 'विनय टूल एण्ड ट्रैवेल्स' (शॉप नं. 01, डीडीएम मार्केट, शाहदरा, पूर्वी दिल्ली) से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

रमेश मौर्या पुत्र स्व. छोटेलाल मौर्या, निवासी मकान नं. जी-34, दिलशाद कालोनी, थाना सीमापुरी, जिला शाहदरा, पूर्वी दिल्ली। (वाहन संख्या DL 1 VA 9062 का पंजीकृत स्वामी)।

अपराधिक इतिहास:

मु.अ.सं. 55/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र, थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली।

उ0नि0 सुनील कुमार, थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली।

उ0नि0 अनिल कुमार सिंह, थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली।

हे0का0 गयाप्रसाद, थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली।

का0 संतोष यादव, थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली।

का0 रतन गौड़, थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली।

का0 अमित गुप्ता, थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली।